पत्रांक–15 / डी0एल0ए0–पटना (रा0उ0प0)–10 / 13.........763........ / रा0

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)
अधिसूचना

पटना, तारीख: 7/3/13

सं.......................................रा0 चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–पुरैनिया, थाना नं0–04, थाना–मसौढ़ी, अंचल–पटना, जिला–पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बिहटा–सरमेरा राज्य उच्च पथ सं0–78 के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए, इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम–पुरैनिया, थाना नं0–04, थाना–मसौढ़ी, अंचल–पटना, जिला–पटना के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम–वेश–2.215 एकड़ के बराबर होता है और जिसका सर्वे खेसरा संख्या–405 अंश, 406 अंश, 412 अंश, 423 अंश, 426 अंश, 428 अंश एवं 433 अंश और जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है–

उत्तर	:	खेसरा संख्या–405 अंश, 406 अंश, 412 अंश, 417 अंश, 431 अंश, 432 अंश
पूरब	:	खेसरा संख्या–405 अंश, 424 अंश, 425 अंश, 428 अंश, 433 अंश, 439 अंश
दक्षिण	:	खेसरा संख्या–417 अंश, 426 अंश, 428 अंश, 429 अंश, 430 अंश, 434 अंश, 435 अंश
पश्चिम	:	खेसरा संख्या–406 अंश, 413 अंश, 422 अंश, 425 अंश, 426 अंश, 428 अंश

यह अधिसूचना, अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा भू–अर्जन पदाधिकारी पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा। बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंद्ध प्रारम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे **उप महाप्रबंधक (तकनीकी), परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिहार स्टेट डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि0, बिहारशरीफ**, के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5A के उपबंध लागू नहीं होगें।

~~समाहर्त्ता~~
पटना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अपर सचिव

E/BSRDC/BAKAST ONLY/ADHISOOCHNA

ज्ञापांक संख्या–15/डी0 एल0 ए0 पटना–(रा0उ0प0)–10/13– 763 दि0– 7/3/13

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, पटना को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।